

(Duplicate Copy):RPTCO10014187 13-Aug-2024

तिथि Feb 28 2018

आदेश



अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा अरालडीह थाना जरीडीह

खाता	प्लॉट	रकबा
62	137	0 एकड़, 8.22 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री विशेश्वर नायक	पिता	स्व० राधु नायक

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या/शपथ पत्र 4187 दिनांक Jun 19 2015 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
विशेश्वर नायक	पिता	स्व० राधू नायक

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः वार्षिक लगान **4रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। | ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : SRIVASTAVA RAKESH KUMAR

अंचलाधिकारी जरीडीह

Covid-19 से बचाव- कोरोना हारेगा , भारत जीतेगा | दो गज की दूरी मास्क है जरूरी | सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, हमें कोरोना से लड़ना होगा |